संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004)

विज्ञापन

एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष शिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण का काउंसलिंग कार्यक्रम

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष शिक्षण सत्र 2016-17 के प्रवेश परीक्षा परिणामों पर निर्मित मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के शासकीय एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों, जिन्हें भारत शासन के आयुष मंत्रालय से मान्यता/प्रवेशानुमति व क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबंद्वता प्राप्त हो चुकी है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन काउंसलिंग **mponline (द्वितीय चरण)** के माध्यम से संपन्न होगी। **द्वितीय चरण** का आनलाईन काउंसलिंग शेड्यूल निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	पंजीयन	दिनांक 07.11.16 से दिनांक 09.11.16 सायं 05.00 बजे तक
2.	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 07.11.16 से दिनांक 09.11.16 सायं 05.00 बजे तक
3.	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों में एम.डी. /एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 08.11.16 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 09.11.16 रात 11.59 बजे तक
4.	सीट आवंटन	दिनांक 15.11.16
5.	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 16.11.16 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 18.11.16 तक

1– अभ्यर्थी प्रकाशित काउंसलिंग शेड्यूल अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– उक्त काउंसिलिंग में भारत शासन आयुष मंत्रालय से अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी / निजी आयुष महाविद्यालयो को सम्मिलित किया जा रहा है। भारत शासन आयुष मंत्रालय में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को भारत शासन आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर एम.डी./एम.एस.(आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा नियम-2016 की कंडिका-20.2 अनुसार काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।

3– जिन अभ्यर्थियों ने **प्रथम चरण** की काउंसिलिंग दिनांक 18.10.16 से 29.10.16 तक में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। यदि वे अन्य महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा जिन अभ्यर्थियों ने सेवारत् अभ्यर्थी के रूप में प्रथम चरण की काउंसिलिंग में च्वाईस फीलिंग किया है, किन्तु वे नियमानुरूप वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर पाये है तो वे सभी एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम - 2016 की कंडिका 11 अनुसार प्रवेश निरस्त कराकर इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित महाविद्यालयों/विषयों में च्वाईस फिलिंग कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

4– नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए प्री.पी.जी प्रवेश नियम-2016 देखें जो संचालनालय की वेबसाइट **www.ayush.mp.gov.in** एंव एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट **www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।

5– विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय, आयुष, की बेवसाइट **www.ayush.mp.gov.in** एंव **www.mponline.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

प्र0 संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म.प्र.